

20

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाबता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

दीवानी अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 278/2024

1. श्योपतराम पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सीताराम पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र मनफुलराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कलावती पुत्री नत्थूराम पत्नी सन्दीप कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. चन्द्रकला पुत्री नत्थूराम पत्नी सुशील कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. अन्जू पुत्री नत्थूराम पत्नी सन्दीप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा, खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 04.09.2024

वादीगण की ओर से श्री महेश गौड़ अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनील कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.09.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी संख्या 1 श्योपतराम पुत्र नत्थूराम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 बी. आर.एन. के पत्थर नम्बर 210/379(1) किला नम्बर 16/1/0.241, 17, 18, 19/0.759 हैक्टर, पत्थर नम्बर 204/381(14) किला नम्बर 11/2/0.165, 12/1/0.190, 19/0.253, 202/0.229, 21/2/0.228, 22/0.253, पत्थर नम्बर 204/382(30) किला नम्बर 1/3/0.075 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या 2 सीताराम पुत्र नत्थूराम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 बी.आर. एन. के पत्थर नम्बर 204/380(11) किला नम्बर 21/2/0.228, पत्थर नम्बर 204/381(14) किला नम्बर 1/2/0.228, 2, 9/0.506, 10/2/0.228, 11/2/0.063 पूर्व से पश्चिम, 12/2/0.063 हैक्टर पूर्व से पश्चिम।

चक नम्बर 4 बी.आर.एन. के खाता संख्या 28/30 में अंकित नत्थूराम के नाम की 1.324 हैक्टर कमाण्ड आराजी।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम करने तथा चक नम्बर 4 बी.आर.एन. के खाता संख्या 28/30 में से प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन

किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति गुप्ता)  
 अधिवक्ता एवं  
 सहायक कलेक्टर  
 टिब्बी

**बाद के खर्चे**

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
बाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---